सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Bijamandal Mosque, Bhilsa, District- Vidisha, Madhya Pradesh

बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Bijamandal Mosque, Bhilsa, District- Vidisha, Madhya Pradesh

विषय – सूची

	अध्याय I **प्रारंभिक**	
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-4
	अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि**	
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	5
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	5
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	5-6
	अध्याय III **संरक्षित संस्मारक - बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला - विदिशा, मध्य प्रदेश का स्थान और अवस्थिति**	
3.1	संस्मारक का स्थान और अवस्थिति	7
3.2	संस्मारक की संरक्षित सीमा	7
	3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख के अधिसूचना मानचित्र/योजना	8
3.3	संस्मारक का इतिहास	8
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि)	8
3.5	वर्तमान स्थिति	8
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति-स्थिति का आकलन	8
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	8
	अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो**	
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	9
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	9
	अध्याय V **प्रथम अनुसूची एवं सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना**	
5.1	संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	10
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	10
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	10

	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	10
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	10-11
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि	11
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्र-वार)	11
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों	11
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	11
	5.2.8 संस्मारक तक पहुंच	11
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	12
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	12
अध्याय VI संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	13
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि)	13
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	13
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	13
6.5	संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर	14
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	14
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	14
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	14
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	14
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	14
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	14
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना	15
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	15
	6.13.1 मरम्मत एवं नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	15
	6.13.2 पुनर्निर्माण	15
	6.13.3 नया निर्माण	16-17
6.14	आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन	17
अध्याय VII स्थल विशिष्ट सिफारिशें		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	18
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	18

CONTENTS

CHAPTER I PRELIMINARY		
1.1	Short title, Extent and Commencements	19-20
1.2	Definitions	20-21
CHAPTER II Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended		
2.1	Background of the Act	22
2.2	Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws	22
2.3	Rights and Responsibilities of Applicant	22-24
CHAPTER III Location and Setting of Protected Monument - Bijamandal Mosque, Bhilsa, District-Vidisha, Madhya Pradesh		
3.1	Location and Setting of the Monument	24
3.2	Protected Boundary of the Monument	24
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	25
3.3	History of the Monument	25
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	25
3.5	Current Status	25
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	25
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	25
CHAPTER IV Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	26
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	26
CHAPTER V Information as per First Schedule and Survey Plan		
5.1	Survey Plan of the Monument	27
5.2	Analysis of surveyed data	27
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	27
	5.2.2 Description of built up area	27
	5.2.3 Description of green/open spaces	27-28
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	28
	5.2.5 Heights of buildings (Zone wise)	28
	5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings	28

	5.2.7 Public amenities	29
	5.2.8 Access to Monument	29
	5.2.9 Infrastructure services	29
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies	29
CHAPTER VI Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	30
6.2	Sensitivity of the Monument	30
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	30
6.4	Land-use to be identified	30-31
6.5	Archaeological heritage remains other than Protected Monument	31
6.6	Cultural landscapes	31
6.7	Significant natural landscapes	31
6.8	Usage of open space and constructions	31
6.9	Traditional, historical and cultural activities	31
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	31
6.11	Traditional architecture	32
6.12	Developmental plan, as available, by the local authorities	32
6.13	Permissible Building related parameters	32
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	32
	6.13.2 Reconstruction	32-33
	6.13.3 New Construction	33-35
6.14	Visitor facilities and amenities	35
CHAPTER VII Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	36
7.2	Other Recommendations	36

Annexure		
अनुलग्नक-I Annexure-I	बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला - विदिशा, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Bijamandal Mosque, Bhilsa, District-Vidisha, Madhya Pradesh	37
अनुलग्नक-II Annexure-II	संस्मारक की अधिसूचना Notification of the Monument	38-40
अनुलग्नक–III Annexure-III	स्थानीय निकाय दिशानिर्देश Local Bodies Guidelines	41-43
अनुलग्नक–IV Annexure-IV	विदिशा विकास योजना मानचित्र 2031 Vidisha Development Plan Map 2031	44
अनुलग्नक-IV(ख) Annexure-IV(b)	बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश को दर्शाने वाला विदिशा विकास योजना 2031 का भूमि उपयोग मानचित्र Land-use Map of Vidisha Development Plan 2031, Showing Bijamandal Mosque, Bhilsa, District - Vidisha, Madhya Pradesh	45
अनुलग्नक–V Annexure –V	संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के चित्र Images of the Protected Monument and its Surroundings	46-52

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारक - **"बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 22.12.2022 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि"

अध्याय I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारक - **"बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv)ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv)किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियाँ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण

का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

संरक्षित संस्मारक - बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश का स्थान और अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान और अवस्थिति:

बीजामंडल मस्जिद विदिशा, मध्य प्रदेश में स्थित है।

इसके स्थान के भौगोलिक निर्देशांक हैं: **अक्षांश 23°31'43.2"N, देशांतर 77°48'04.4"E**.

संरक्षित संस्मारक घनी आबादी वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन विदिशा रेलवे स्टेशन है जो दक्षिण-पूर्व दिशा में 2.7 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भोपाल है जो दक्षिण-पश्चिम की ओर 63 किलोमीटर की दूरी पर है।

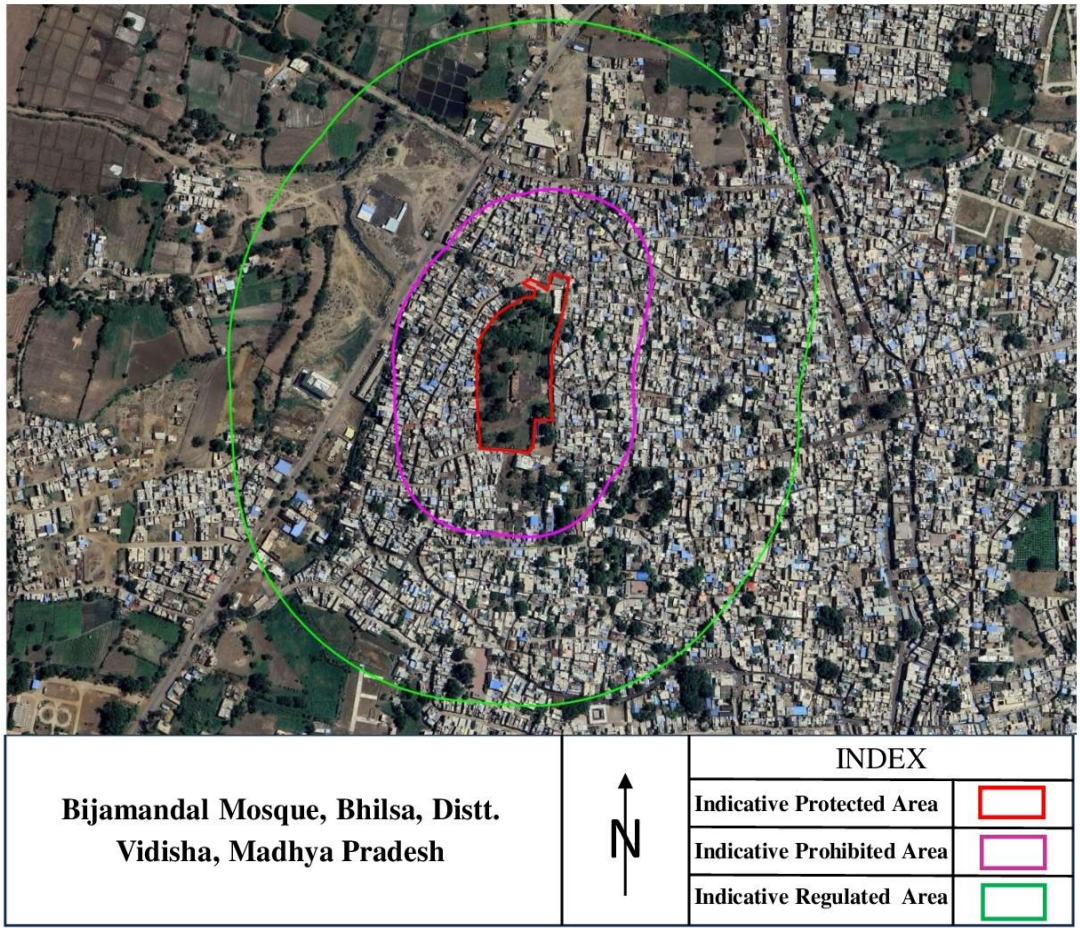

चित्र :1 बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश का स्थान दर्शाने वाला उपग्रह चित्र

3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक- **बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा** की संरक्षित सीमा **अनुलग्नक–I** में देखी जा सकती है।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा की अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

कहा जाता है कि यह मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब (1658-1707 ई.) द्वारा बनवाई गई थी, यह एक भूतपूर्व परमार मंदिर (लगभग 11वीं शताब्दी ई.) के स्थल पर स्थित है। इसमें परमार मंदिरों की शैली में नक्काशीदार कई स्तंभ, भित्तिस्तंभ और लिंटेल शामिल हैं, जिनमें से कुछ पर संस्कृत शिलालेख हैं। विशेष रूप से, एक स्तंभ पर परमार राजा नरवर्मन (लगभग 1094-1133 ई.) का नाम दर्ज है। यह स्थल क्षेत्र के स्तरित इतिहास को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न युगों और संस्कृतियों[1] के तत्वों का मिश्रण है

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

संरक्षित संस्मारक एक परिसर में स्थित है जिसमें एक बावली और मंदिर के खंडहर भी शामिल हैं। वर्ष 1971-74 के दौरान किए गए पुरातात्विक उत्खनन में विभिन्न वास्तुशिल्पीय तत्वों, मूर्तिकला के टुकड़ों और उत्कीर्ण स्लैब, साथ ही दक्षिणी तरफ सात सीढ़ियों वाला दो मीटर ऊंचा अधिष्ठान, कई वास्तुशिल्प सदस्यों, खंडित मूर्तियों और उत्कीर्ण स्लैब का पता चला। खोजी गई उल्लेखनीय वस्तुओं में महिषासुरमर्दिनी की आकृतियाँ, आठ भुजाओं वाले खड़े गणेश, नृत्य करती हुई महिला आकृतियाँ, नृत्य करती हुई सप्तमातृकाएँ, उत्कृष्ट नक्काशीदार वास्तुशिल्प सदस्य, ब्रैकेट आकृतियाँ और परमार शिलालेखों के खंडित टुकड़े शामिल हैं।

संरक्षित संस्मारक के उत्तर में एक बावली है, जिसके पहले तल पर दो उत्कृष्ट नक्काशीदार 8वीं शताब्दी के स्तंभ हैं, जो विभिन्न कृष्ण लीला दृश्यों[2] से सुसज्जित हैं।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारक की स्थिति - स्थिति आकलन:

संरक्षित संस्मारक का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एकमात्र अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ **अनुलग्नक-V** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

प्रतिदिन लगभग 30 से 50 लोग इस संरक्षित संस्मारक[3] को देखने आते हैं।

---

[1] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भोपाल सर्किल)

[2] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भोपाल सर्किल)

[3] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भोपाल सर्किल)

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

संरक्षित संस्मारक नगर पालिका विदिशा की सीमा में स्थित है।

विदिशा विकास योजना 2031 (विदिशा विकास योजना 2031) में

i. संरक्षित संस्मारक क्षेत्र को सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

ii. संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक, आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ, बस स्टैंड, कृषि और पार्क/खेल के मैदान (उद्यान/खेल मैदान) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। **(अनुलग्नक-IV देखें)**

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

निर्माण के लिए सामान्य दिशा-निर्देश **विदिशा विकास योजना 2031 (विदिशा विकास योजना 2031)** में यथा उल्लिखित लागू होंगे, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है और ये संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर भूमि उपयोग के संबंध में लागू हैं।

संरक्षित संस्मारकों के लिए प्रावधान **विदिशा विकास योजना 2031 (विदिशा विकास योजना 2031) अध्याय-3, खंड 3.8** में उल्लिखित हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि, केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित के रूप में नामित संस्मारकों और विरासत स्थलों के लिए, पुरातात्विक संस्मारकों/स्थलों की संरक्षित सीमा से 100 मीटर की परिधि (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) के भीतर निर्माण और विकास की अनुमति नहीं है। इस प्रतिषिद्ध क्षेत्र से परे, 200 मीटर (विनियमित क्षेत्र) की दूरी तक; निर्माण/विकास के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी। **(देखें-अनुलग्नक-III)**

हालाँकि, इस धरोहर उपविधि के **अध्याय 6, खंड 6.13** में निर्दिष्ट ऊँचाई और अन्य भवन संबंधी मापदंड संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1)/सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

5.1 संस्मारक की सर्वेक्षण योजना:

बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना, **अनुलग्नक-I** पर देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण :

क) संरक्षित क्षेत्र लगभग 15,948 वर्गमीटर है।

ख) प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 87,662 वर्गमीटर है।

ग) विनियमित क्षेत्र लगभग 3,62,019 वर्गमीटर है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

उत्तर: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवास मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र में इस दिशा में दुकानें और आवासीय भवन मौजूद हैं। उत्तर-पश्चिमी दिशा में छोटी व्यावसायिक दुकानें मौजूद हैं।

पूर्व: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में घनी आबादी वाला आवासीय क्षेत्र मौजूद है।

दक्षिण: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में ''किला अंदर'' क्षेत्र, जिसमें हाथी वाली हवेली के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन आवास और अन्य आवास मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र में एक आवासीय क्षेत्र, एक मस्जिद, श्री दुर्गा मंदिर और एक ओवरहेड पानी की टंकी मौजूद है। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और बालाजी मंदिर दक्षिण-पूर्वी दिशा में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ आवास, चोपड़ा कॉलोनी, अरेरा अस्पताल और होटल रॉयल पैलेस दक्षिण-पश्चिमी दिशा में मौजूद हैं।

पश्चिम: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में दौलतपुर आवासीय कॉलोनी और एक मंदिर सहित आवास मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र में बिक्सरिया कॉलोनी मौजूद है।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

उत्तर: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवासों के अंदर और आसपास खुली भूमि मौजूद है। विनियमित क्षेत्र में, विशाल बंजर भूमि मौजूद है।

पूर्व: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में, आवासीय भवनों के आसपास खुली जगह मौजूद है।

दक्षिण: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, "किला अंदर" में हाथी वाली हवेली के आसपास खुली जगह मौजूद है। विनियमित क्षेत्र में, दक्षिण-पूर्व दिशा में आवासों और मंदिर के आसपास खुली जगहें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, दक्षिण-पश्चिमी दिशा में विनियमित सीमा को छूने वाली एक बड़ी बंजर भूमि है।

पश्चिम: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, दौलतपुर कॉलोनी के आवासों के आसपास और अंदर कुछ खुली जगहें मौजूद हैं और बंजर भूमि मौजूद है। विनियमित क्षेत्र में, इस दिशा में अधिकांश भूमि बंजर है।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

संरक्षित संस्मारक की प्रतिषिद्ध और विनियमित सीमाओं के भीतर, कई गलियाँ और सड़कें फैली हुई हैं, जो आस-पास के क्षेत्र में संपर्क को सुविधाजनक बनाती हैं। राज्य राजमार्ग-19 (एसएच-19), जिसे स्थानीय रूप से बीजामंडल मस्जिद रोड के रूप में जाना जाता है और कई शहर की सड़कें, जैसे खाई रोड और हाथी वाली हवेली रोड, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, जिससे शहर के अन्य हिस्सों के साथ संपर्क बढ़ता है।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊँचाई (क्षेत्रवार):

उत्तर: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई जी से जी+2 संरचनाओं तक है।

दक्षिण: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई जी से जी+2 संरचनाओं तक है।

पूर्व: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई जी से जी+2 संरचनाओं तक है।

पश्चिम: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई जी से जी+5 संरचनाओं तक है

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में अभी तक कोई अन्य राज्य संरक्षित संस्मारक या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध धरोहर भवन नहीं है।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

शौचालय, पेयजल और कूड़ेदान जैसी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

संरक्षित संस्मारक तक राज्य राजमार्ग-19 (एसएच-19) द्वारा पहुंचा जा सकता है जो पश्चिमी दिशा की ओर स्थानीय रूप से बीजामंडल मस्जिद रोड के नाम से जाना जाता है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएँ (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी और सीवेज निपटान उपलब्ध हैं।

5.2.10 क्षेत्र की प्रस्तावित ज़ोनिंग:

नगर पालिका विदिशा क्षेत्र के लिए कोई प्रस्तावित ज़ोनिंग निर्दिष्ट नहीं है, हालाँकि भूमि उपयोग **विदिशा विकास योजना 2031 (विदिशा विकास योजना 2031)** के अनुसार है। **अनुलग्नक-IV देखें**

अध्याय VI

संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

बीजामंडल मस्जिद, जो मूल रूप से 11वीं शताब्दी ई. से परमार मंदिर है, महत्वपूर्ण वास्तुशिल्पीय, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रखती है। वास्तुकला की दृष्टि से, इसमें मुगल और परमार शैलियों का मिश्रण है, जो जटिल डिजाइनों और संस्कृत शिलालेखों के साथ नक्काशीदार स्तंभों, भित्तिस्तंभों और चौखटों में दिखाई देती है। ऐतिहासिक रूप से, यह स्थल के स्तरित अतीत को दर्शाता है, जिसमें एक स्तंभ पर परमार राजा नरवर्मन (लगभग 1094-1133 ई.) का नाम भी दर्ज है। पुरातात्विक उत्खनन (1971-74) में महिषासुरमर्दिनी, आठ भुजाओं वाले खड़े गणेश, नृत्य करती हुई महिला आकृतियाँ, नृत्य करती हुई सप्तमातृकाएँ और परमार शिलालेखों सहित विभिन्न तत्वों का पता चला, जो उस काल की सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करते हैं। इस स्थल में कृष्ण लीला दृश्यों से सजे 8वीं शताब्दी के स्तंभों वाली एक बावली भी शामिल है, जो इसकी ऐतिहासिक गहराई पर और अधिक जोर देती है।

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):

संरक्षित संस्मारक उत्तर, दक्षिण और पूर्व में प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में घने आधुनिक निर्माणों से घिरा हुआ है। शहर के विस्तार के कारण, संरक्षित संस्मारक अतिक्रमण, निर्माण और विकास गतिविधियों के कारण संवेदनशील हो गया है।

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारक के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में आवास दिखाई देते हैं। उत्तर की ओर, कुछ पेड़ और आवास दिखाई देते हैं।

संरक्षित संस्मारक किसी भी दिशा से मुश्किल से दिखाई देता है, चाहे वह प्रतिषिद्ध क्षेत्र हो या विनियमित क्षेत्र, क्योंकि यह समकालीन निर्माणों के पीछे छिपा हुआ है।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

विदिशा विकास योजना 2031 (विदिशा विकास योजना 2031) में:

i. संरक्षित संस्मारक को सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

ii. संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक, आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ, बस स्टैंड, कृषि और पार्क/खेल के मैदान (उद्यान/खेल मैदान) के रूप में नामित किया गया है।

(अनुलग्नक-IV (ख) देखें)

6.5 संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर:

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कई मूर्तियां, उत्कृष्ट खजाने और वास्तुकला के टुकड़े खोदे गए, निकाले गए और संग्रहीत किए गए (1971-73)। प्रतिषिद्ध, विनियमित के रूप में नामित क्षेत्रों और उनके आस-पास की भूमि में महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष होने की संभावना है, जो धरती की परतों के भीतर दबे हुए हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

बीजामंडल मस्जिद परिसर एक समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य प्रस्तुत करता है जो सदियों से चली आ रही धार्मिक प्रथाओं और स्थापत्य शैलियों के ऐतिहासिक अंतर्संबंध को दर्शाता है। यह क्षेत्र की कलात्मक विरासत और परमार वंश की स्थायी विरासत के संस्मारक के रूप में कार्य करता है, यद्यपि मुगल काल के दौरान विकसित हो रहे प्रभावों को प्रदर्शित करता है। संस्कृतियों का यह संश्लेषण ऐतिहासिक प्रशंसा और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए स्थल के महत्व को उजागर करता है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संस्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

संरक्षित संस्मारक परिसर हरे भरे खुले स्थानों और पेड़ों से घिरा हुआ है। ये स्थान और प्राकृतिक परिदृश्य स्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में मदद करते हैं।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

संरक्षित संस्मारक के आसपास की खुली जगहें मुख्य रूप से बंजर भूमि, खेल के मैदान और प्रस्तावित विकास स्थल हैं। निर्माण का ज़्यादातर इस्तेमाल आवासों के लिए किया जा रहा है।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

नाग पंचमी के दौरान लोग मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना करने के लिए एकत्रित होते हैं, अन्यथा यह एक निर्जीव संस्मारक है।

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

<u>संरक्षित संस्मारक से दिखाई देने वाली क्षितिज रेखा:</u>

संरक्षित संस्मारक से, आवास दिखाई देते हैं।

<u>विनियमित क्षेत्र से दिखाई देने वाली क्षितिज रेखा:</u>

विनियमित क्षेत्र में आवास और दुकानों सहित कई निर्माण दिखाई देते हैं।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की विशेषता पारंपरिक वास्तुकला वाले कच्चे घर हैं। ये घर पत्थर की दीवारों से बने हैं जिन पर मिट्टी का लेप लगा है और इनकी छतें स्थानीय रूप से उपलब्ध मिट्टी की टाइलों से ढकी हैं जिन्हें कबेलस के नाम से जाना जाता है।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना:

विदिशा विकास योजना 2031 (विदिशा विकास योजना 2031) का वर्तमान में अनुपालन किया जा रहा है। इसे **अनुलग्नक-III** में देखा जा सकता है।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

विदिशा विकास योजना 2031 (विदिशा विकास योजना 2031) में यथा संशोधित रूप में निर्दिष्ट अन्य सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम लागू होंगे। हालाँकि, इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट ऊँचाई और अन्य पैरामीटर संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

1. **स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:**

   नए निर्माण या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **10.50 मीटर** से अधिक नहीं होनी चाहिए। (जिसमें ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, जनरेटर कक्ष, एचवीएसी यूनिट, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:

   जहां तक संभव हो, बेसमेंट के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. **उपयोग:**

   वर्तमान भूमि उपयोग को बरकरार रखा जा सकता है।

3. **अग्रभाग डिजाइन:**

   (i) नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए ताकि यह संस्मारक और आस-पास के क्षेत्र के समग्र विरासत स्वरूप पर हावी न हो। अग्रभाग का डिजाइन सूक्ष्म, प्लास्टर किया हुआ और मिट्टी के रंगों (सफेद, ग्रे, बेज, भूरा आदि) में रंगा हुआ होना चाहिए।

   (ii) विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थित सभी भवनों के लिए दुकानों और आवासों के अनौपचारिक विस्तार को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

   (iii)सभी ऐतिहासिक इमारतों, दुकानों के अग्रभागों को मूल डिजाइन (ब्रैकेट, छज्जा, मेहराबदार दरवाजे, खिड़कियां आदि की श्रृंखला) के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए।

   (iv)प्लंबिंग और बिजली की सेवाएं व्यवस्थित होनी चाहिए और इमारत के बाहरी हिस्से में नहीं होनी चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

(i) छत का डिज़ाइन स्थानीय वास्तुकला के अनुरूप होना चाहिए।

(ii) एल्युमिनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं का निर्माण भवन की छत पर हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

(iii)सभी सेवाएँ जैसे कि बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ, छत पर पानी के भंडारण टैंक या छत पर रखे गए बड़े जनरेटर सेट को स्क्रीन दीवारों (ईंट/सीमेंट शीट, लौवर, जालियाँ या ऐसे अन्य डिज़ाइन तत्व) का उपयोग करके बंद किया जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

5. निर्माण सामग्री:

संस्मारक के सभी सड़क के अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जा सकती है। आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे कि एल्युमीनियम क्लैडिंग, कांच की ईंटें और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री की अनुमति बाहरी फिनिश के लिए नहीं दी जानी चाहिए। ईंट और पत्थर जैसी पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

6. रंग:

बाहरी रंग संस्मारक के अनुरूप तटस्थ स्वर का होना चाहिए, जैसे कि बफ बलुआ पत्थर का रंग, बेज और अन्य मिट्टी के रंग, जो संस्मारक और उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा न करें।

7. अन्य विनियम:

मेट्रो (भूमिगत या ओवरहेड), फुट-ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग या ऐसी किसी भी परियोजना जैसे किसी भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अधीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और साधन:

इसके अतिरिक्त, संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में व्यवहार्यता के अनुसार आगंतुक सुविधाओं पर भी विचार किया जा सकता है।

अध्याय VII
स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें:

i. संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर रिपोर्ट किए गए अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण का उचित समाधान जिला प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।

ii. संरक्षित संस्मारक या उसके आसपास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग साइनेज के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

iii. संरक्षित संस्मारक के निकट, विशेषकर संरक्षित संस्मारक की चारदीवारी पर होर्डिंग्स, बिल बोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

iv. संरक्षित संस्मारक के आसपास आवागमन के लिए पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ताकि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संरक्षित संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

v. वर्षा जल संचयन आदि जैसी श्रेष्ठ प्रक्रियाओं सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. क्षेत्र को प्लास्टिक एवं पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

ii. जब भी मास्टर प्लान, क्षेत्रीय योजना या विकास योजना तैयार की जाए या उसमें संशोधन किया जाए तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और इन संरक्षित संस्मारकों के आसपास के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

iii. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monument **"Bijamandal Mosque, Bhilsa, District - Vidisha, Madhya Pradesh"**, prepared by the Competent Authority and in consultation with School of Planning and Architecture, Bhopal, are hereby published 22.12.2022 as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Bijamandal Mosque, Bhilsa, District- Vidisha, Madhya Pradesh"

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.1 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage Bye-laws 2025 of Protected Monument **"Bijamandal Mosque, Bhilsa, District- Vidisha, Madhya Pradesh".**

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient monument,
(ii) the site of an ancient monument,
(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological Officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure

or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Government" means The Government of India,

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto,

(j) "owner" includes:

(i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

(ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in- office of any such manager or trustee

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) "Protected Monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monument. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the Prohibited Area, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the Regulated Area, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws:

Section 20E of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments. Ibid Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of the AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application

to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of the Protected Monument –Bijamandal Mosque, Bhilsa, District- Vidisha, Madhya Pradesh

3.1 Location and Setting of the Monument:-

Bijamandal Mosque is located at Vidisha, Madhya Pradesh.

The geographical coordinates of its location are: **Latitude 23°31'43.2"N, Longitude 77°48'04.4"E**.

The Protected Monument is surrounded by densely populated area. The nearest railway station is Vidisha Railway station at a distance of 2.7 kilometres in the South-Eastern direction. The nearest Airport is Raja Bhoj International Airport, Bhopal at a distance of 63 kilometres towards South-West.

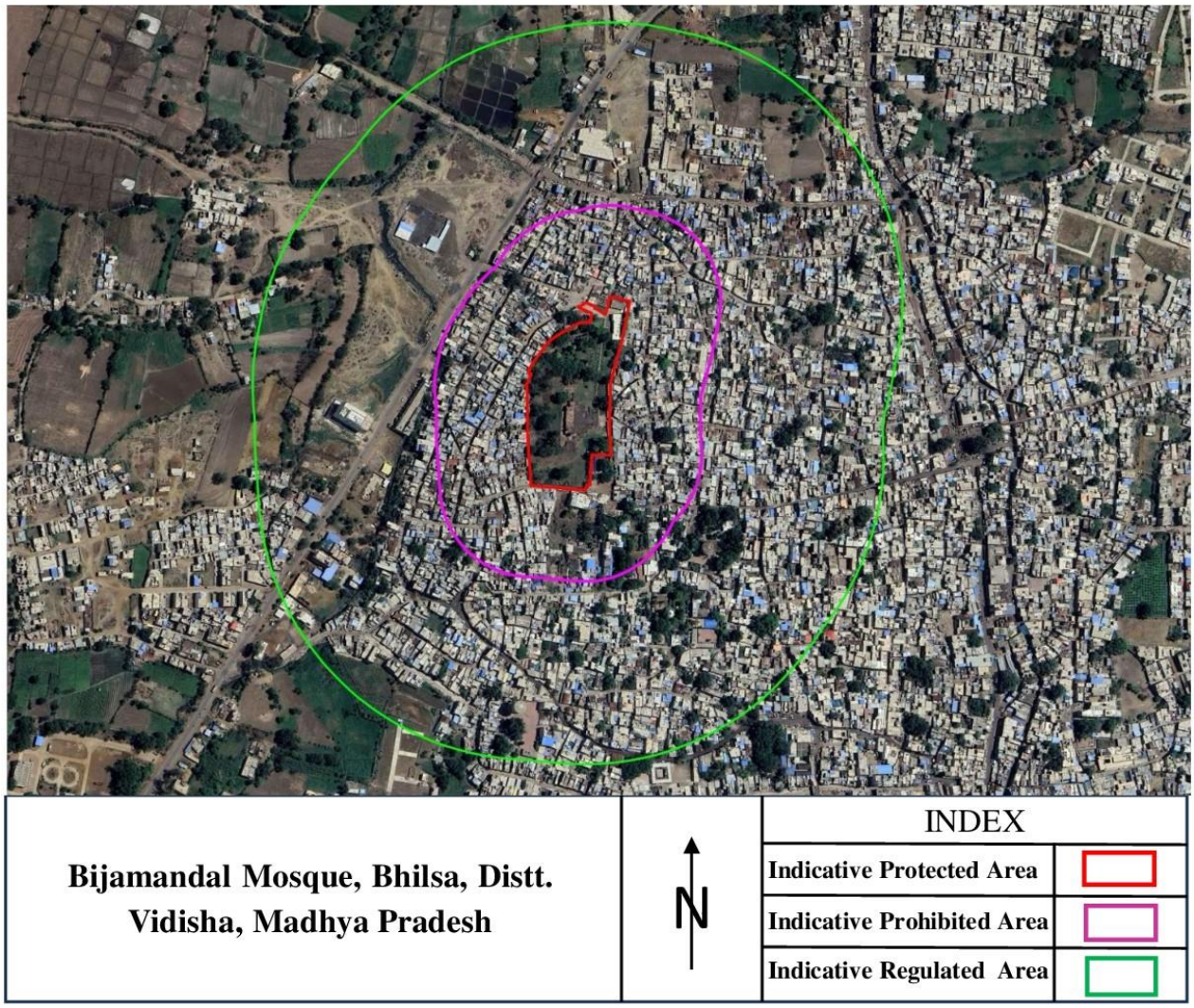

Figure: 1 Satellite Imagery showing location of the Bijamandal Mosque,Bhilsa, District-Vidisha, Madhya Pradesh

3.2 Protected boundary of the Monument:

The Protected Boundary of the Protected Monument-**Bijamandal Mosque, Bhilsa, District-Vidisha** may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Notification of **Bijamandal Mosque, Bhilsa, District-Vidisha** may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Monument:

The mosque, said to have been built by the Mughal Emperor Aurangzeb (1658-1707 C.E.), stands on the site of a former Paramara Temple (circa 11th century C.E.). It incorporates numerous pillars, pilasters and lintels carved in the style of Paramara Temples, some bearing Sanskrit inscriptions. Notably, one pillar records the name of Paramara King Naravarman (circa 1094-1133 C.E.). The site reflects the layered history of the region, blending elements from different eras and cultures.[1]

3.4 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The Protected Monument is housed in a complex which also includes a baoli and ruins of a temple. Archaeological excavations conducted during 1971-74 revealed various architectural elements, sculptural fragments and inscribed slabs, along with two metres high Adhisthan with seven steps on the Southern side, a part from a number of architectural members, fragmentary sculptures and inscribed slabs. Noteworthy objects discovered include figures of Mahishasurmardini, an eight-armed standing Ganesh, dancing female figures, dancing Saptamatrikas, exqvisitely carved architectural members, bracket figures and fragmentary pieces of Paramara inscriptions.

To the North of the Protected Monument, there is a Baoli, the first landing of which features two exquisitely carved 8th century pillars adorned with various Krishna Lila scenes. [2]

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of Monument- condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monument is the exclusive domain of Archaeological Survey of India. The photographs depicting the present condition of the Protected Monument are appended in **Annexure-V**.

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

Daily around 30 to 50 people come to visit this Protected Monument.[3]

[1] Archeological Survey of India (Bhopal Circle)
[2] -do-
[3] -do-

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.1 Existing zoning:

The Protected Monument lies within the limits of Nagar Palika Vidisha.

In the **Vidisha Development Plan 2031 (Vidisha Vikas Yojana 2031):**

i. The Protected Monument area is specified as Public and Semi Public (Sarvjnek and Ardh-Sarvjnek).

ii. The Prohibited and Regulated Areas of the Protected Monument are designated as Public and Semi Public (Sarvjnek and Ardh-Sarvjnek), Residential (Avasiye), Commercial (Vanijiyek), Public Utilities and Facilities (Sarvjnek Sewayen evam Suvidhayein), Bus Stand (Bus Sathanak), Agricultural (Krishi*)* and Park/Playgrounds (Ugyaan/Khel Maidaan). **(Refer Annexure-IV)**.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

The general guidelines for construction shall be applicable, as mentioned in the **Vidisha Development Plan 2031 (Vidisha Vikas Yojana 2031),** as amended from time to time and are applicable with respect to land use within the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Monument.

Provisions for Protected Monuments are outlined in the **Vidisha Development Plan 2031 (Vidisha Vikas Yojana 2031) chapter-3, section 3.8**, which specifies that, for Monuments and Heritage Sites designated as Protected by the Central Government, construction and development within a 100 metres radius (Prohibited area) from the Protected boundary of archaeological monuments/sites are not allowed. Beyond this Prohibited area, up to a distance of 200 metres (Regulated area); permission for construction/development must be obtained from the Competent Authority.

(**Refer- Annexure-III)**.

However, the height and other building related parameters specified in **Chapter 6, section 6.13** of this Heritage Bye-Law shall be applicable in the Regulated Area of the Protected Monument.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

5.1 Survey Plan of Monument:

Survey Plan of Bijamandal Mosque, Bhilsa, District- Vidisha, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Protected Area is 15,948 square metres, approximately.
ii. Prohibited Area is 87,662 square metres, approximately.
iii. Regulated Area 3,62,019 square metres, approximately.

5.2.2 Description of built-up area:

North: Residences are present in the Prohibited Area. In the Regulated Area, shops and residential buildings are present in this direction. Small commercial shops are present in the North-Western direction.

East: Densely populated residential area is present in the Prohibited and Regulated Areas.

South: In the Prohibited Area, the Kila Ander area, including the ancient residence known as Hathi Wali Haveli and other residences are present. In the Regulated Area, a residential area, a mosque, Shree Durga Temple and an overhead water tank are present. The Siddheshwar Hanuman Temple, Dwarikadhish Temple and Balaji Temple are present in the South-Eastern direction. Additionally, a few residences, Chopra Colony, Arera Hospital and Hotel Royal Palace are present in the South-Western direction.

West: In the Prohibited Area, residences, including Daulatpur Residential Colony and a temple are present. In the Regulated Area, Biksaria Colony is present.

5.2.3 Description of green/open spaces:

North: In the Prohibited Area, open land is present in and around the residences. In the Regulated Area, vast barren land is present.

East: In the Prohibited and Regulated Areas, open spaces are present around the residential buildings.

South: In the Prohibited Area, open space is present around Hathi Wali Haveli in the Kila Ander. In the Regulated Area, open spaces are found around residences and the temple in the South-Eastern direction. Additionally, a large barren land touches the Regulated Boundary in the South-Western direction.

West: In the Prohibited Area, a few open spaces are present around and inside the residences of Daulatpur Colony and Barren land is present. In the Regulated Area, most of the land in this direction is barren.

5.2.4 Area covered under circulation –roads, footpaths etc.:

Throughout the Prohibited and Regulated boundaries of the Protected Monument, numerous streets and roads are dispersed, facilitating connectivity within the surrounding area. State Highway-19 (SH-19), locally known as Bijamandal Mosque Road and several city roads, such as Khai Road and Hathi Wali Haveli Road, traverse the Prohibited and Regulated Area, enhancing connectivity with other parts of the city.

5.2.5 Existing Heights of buildings (Zone wise):

North: The height of the structures/buildings range from G to G+2 structures.

South: The height of the structures/buildings range from G to G+2 structures.

East: The height of the structures/buildings range from G to G+2 structures.

West: The height of the structures/buildings range from G to G+5 structures.

5.2.6 State protected monuments and listed heritage buildings by localauthorities if available within prohibited/Regulated Area:

No other State Protected Monuments and listed heritage buildings by local authorities are reported as yet, in the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument.

5.2.7 Public amenities:

Public amenities like toilets, drinking water and dustbins are available.

5.2.8 Access to monument:

The Protected Monument can be accessed by a State Highway-19 (SH-19), locally known as Bijamandal Mosque Road toward Western direction.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage,solid waste management, parking etc.

Water supply, storm water drainage and sewage disposal are available.

5.2.10 Proposed zoning of the area :

There is no proposed zoning designated for the Nagar Palika Vidisha area, although the land use is as per **Vidisha Development Plan 2031 (Vidisha Vikas Yojana 2031)**. **Refer Annexure-IV**.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monument

6.1 Architectural, historical and archaeological value of the monument:

The Bijamandal Mosque, originally a Paramara Temple from the 11th century C.E., holds significant architectural, historical, and archaeological value. Architecturally, it blends Mughal and Paramara styles, evident in the pillars, pilasters, and lintels carved with intricate designs and Sanskrit inscriptions. Historically, it showcases the site's layered past, with one pillar even recording the name of Paramara King Naravarman (circa 1094-1133 C.E.). Archaeological excavations (1971-74) revealed various elements, including figures of Mahishasurmardini, an eight-armed standing Ganesh, dancing female figures, dancing Saptamatrikas, and Paramara inscriptions, highlighting the cultural richness of the period. The site also includes a Baoli with 8th century pillars adorned with Krishna Lila scenes, further emphasizing its historical depth.

6.2 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization,population pressure, etc.):

The Protected Monument is surrounded by dense modern constructions within both Prohibited and Regulated Areas to the North, South and East. Due to city expansion, the Protected Monument has become vulnerable to encroachment, construction and development activities.

6.3 Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area:

Residences are visible to the East, West and South of the Protected Monument. To the North, a few trees and residences are visible.

The Protected Monument is hardly visible from any direction, both within Prohibited and Regulated Areas, as it is hidden behind contemporary constructions.

6.4 Land use to be identified:

In the Vidisha Development Plan 2031 (Vidisha Vikas Yojana 2031):

i. The Protected Monument is specified as Public and Semi Public (Sarvjnek and Ardh-Sarvjnek).

ii. The Prohibited and Regulated Areas of the Monument are designated as Public and Semi Public (Sarvjnek and Ardh-Sarvjnek), Residential (Avasiye), Commercial (Vanijiyek), Public Utilities and

Facilities (Sarvjnek Sewayen evam Suvidhayein), Bus Stand (Bus Sathanak), Agricultural (Krishi*)* and Park/Playgrounds (Ugyaan/Khel Maidaan).
(Refer Annexure-IV (b)).

6.5 Archaeological heritage remains other than protected monument:

A number of sculptures, exquisite treasures and architectural fragments were excavated, retrieved and stored (1971-73) by the Archaeological Survey of India. The areas designated as Prohibited, Regulated and their neighboring lands are likely to hold significant archaeological remains, buried within layers of earth.

6.6 Cultural landscapes:

The Bijamandal Mosque complex represents a rich cultural landscape that reflects the historical interplay of religious practices and architectural styles over centuries. It serves as a Monument to the region's artistic heritage and the enduring legacy of the Paramara dynasty, while showcasing the evolving influences during the Mughal period. This synthesis of cultures highlights the site's significance for historical appreciation and artistic expression.

6.7 Significant natural land scapes that forms part of cultural land scape and also helps in protecting monument from environmental pollution:

The Protected Monument complex is surrounded by green open spaces and trees. These spaces and natural landscapes help protect the Monument from environmental pollution.

6.8 Usage of open space and constructions:

The open spaces around the Protected Monument are primarily barren land, playgrounds and proposed development sites. The constructions are mostly being used for residences.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

During Nag Panchmi, people gather at the temple in the complex to pay obeisance, otherwise, it is a non-living Monument.

6.10 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

Skyline as visible from the Protected Monument:

From the Protected Monument, residences are visible.

Skyline as visible from the Regulated Area:

Several constructions, including residences and shops, are visible in the Regulated Area.

6.11 Traditional Architecture:

The Prohibited and Regulated Areas of the Protected Monument, is characterized by kutcha houses featuring traditional architecture. These houses are constructed with stone walls plastered with mud and have thatched roofs covered with locally available clay tiles known as Kabelus.

6.12 Development plan as available by the local authorities:

The **Vidisha Development Plan 2031 (Vidisha Vikas Yojana 2031)** is currently being followed. It may be seen at **Annexure-III**.

6.13 Permissible Building related parameters:

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built-open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminum Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20C(2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Site, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded

as per Rule 16 of AMASR (Framing of heritage Bye-laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3.A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958 as amended, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monument.

6.13.3.B Regulated Area:

All other development control norms and building regulations specified in the **Vidisha Development Plan 2031 (Vidisha Vikas Yojana 2031)** as amended shall be applicable. However, the height and other parameters specified in this document shall be applicable in the Regulated Area of the Protected Monument.

1. Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:

The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **10.50 metres** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof.

Construction of basement should be discouraged as far as feasible.

2. Usage:

Present land use may be retainded.

3. Façade design:

(i) The façade design of new construction must be minimalistic in nature, so that it does not overpower the monument and the overall heritage character of the surrounding area. The façade design should be subtle, plastered and painted in earthy colours (white, grey, beige, brown etc.)

(ii) Informal extensions of shops and residences are to be restricted for all the buildings located within Regulated Area.

(iii) Façades of all historic buildings, shop houses need to be maintained as per original design (series of brackets, chajjas, arched doors, windows etc.).

(iv) Plumbing and electrical services shall be organized and not on the exterior of the building.

4. Roof design:

(i) The roof design should be in harmony with the local architecture.

(ii) Erection of Structures, even of temporary nature, using materials such as Aluminium, fiber glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the building.

(iii) All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets, louvres, jaalis or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

5. Building material:

Consistency in building materials and colour along all street façades of the monument may be maintained. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should not be permitted for exterior finishes. Traditional building materials such as brick and stone should be used.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone in harmony with the monument such as buff sandstone colour, beige and other earth colours which do not create a harsh contrast with the monument and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like Metro (underground or overhead), foot-over bridges, flyover, multi-level parking or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Additional, visitor facilities may be considered in the vicinity of the Protected Monument as per feasibility.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

(i) An appropriate addressal of the reported unauthorized construction and encroachment within the Prohibhited and Regulated Areas of the Protected Monument may be undertaken by the District Authorities.

(ii) LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

(iii) No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters should be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the Protected Monument.

(iv) Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monument may be encouraged to mitigate adverse impact on the Protected Monument due to vehicular emissions and vibrations.

(v) Construction of green buildings including best practices like rainwater harvesting should be encouraged.

7.2 Other recommendations:

(i) The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

(ii) Whenever the Master Plan, Zonal Plan, or Development Plan is prepared or amended, it should clearly show all Protected Monuments of national importance and their Prohibited and Regulated Areas.

(iii) National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXUR –I

बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना
Survey Plan of Bijamandal Mosque, Bhilsa, District- Vidisha, Madhya Pradesh

अनुलग्नक–II
ANNEXUR–II

संस्मारक की अधिसूचना
NOTIFICATION OF THE MONUMENT

THE ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS AND ARCHÆOLOGICAL SITES AND REMAINS (DECLARATION OF NATIONAL IMPORTANCE) ACT, 1951.

No. LXXI OF 1951

An Act to declare certain ancient and historical monuments and archæological sites and remains in Part A States and Part B States to be of national importance and to provide for certain matters connected therewith.

[28th November, 1951]

BE it enacted by Parliament as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Ancient and Historical Monuments and Archæological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Act, 1951.

2. Declaration of certain monuments and archæological sites and remains to be of national importance.—The ancient and historical monuments referred to or specified in Part I of the Schedule and the archæological sites and remains referred to or specified in Part II thereof are hereby declared, respectively, to be ancient and historical monuments and archæological sites and remains of national importance.

3. Application of Act VII of 1904 to ancient monuments, etc., declared to be of national importance.—All ancient and historical monuments and all archæological sites and remains declared by this Act to be of national importance shall be deemed to be protected monuments and protected areas, respectively, within the meaning of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904, and the provisions of that Act shall apply accordingly to the ancient and historical monuments or archæological sites and remains, as the case may be, and shall be deemed to have so applied at all relevant times.

THE SCHEDULE

(*See* section 2)

PART I

Ancient and Historical Monuments

1. All ancient and historical monuments in Part A States and Part B States which, before the commencement of this Act, have either been declared by the Central Government, to be protected monuments within the meaning of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904, or which have been taken possession of by the Central Government as protected monuments.

Price annas 2 or 3d.

953 M/of Law.

Serial No.	Name of monument	Locality
	MADHYA BHARAT STATE—contd.	
	District Bhilsa—contd.	
4.	Malujevi [illegible]	Gyarasp
5.	Bara Khambi	Udaypur
6.	[illegible] Temple	Udaypur
7.	Udayeshwar Mahadeva Temple	Do.
8.	Bhimagola	Do.
9.	[illegible]	Pathari
10.	Bijamandal Mosque	Do.
11.	Lohangi Hill [illegible]	Bhilsa
12.	Cavos 1 to 20	Do.
13.	[illegible] Temple	Udayeshi
14.	Gadarmal Temple	Badoh
15.	Jain [illegible]	Do.
16.	Sola Khambi	Do.
17.	Khamb Bâba (Heliodoras Pillar)	Do.
18.	Brick temples (two)	Besnagar
19.	Open Air Museum	Khorai
20.	Fort	Do.
	District Dewas	Ater
21.	Siddheshwar Temple	Nonawa
22.	Unfinished Temple	Do.
	District Dhar	
23.	Adar Gumbaz	Mandu
24.	Alamgir Gate	Do.
25.	Ancient Hindu Baodi	Do.
26.	Ancient Hindu well	Do.
27.	Andheri Baodi	Do.
28.	Ashrafi Mahal	Do.
29.	Baz Bahadur's palace	Do.
30.	Bhagwania Gate	Do.
31.	Bhangi Gate	Do.
32.	Champa Baodi	Do.
33.	Chhapan Mahal	Do.
34.	Chistikhan's Mahal	Do.
35.	Choi Kot	Do.
36.	Chorakot Mosque	Do.
37.	Nahar Jharokha Compound	Do.
38.	Dai ka Mahal	Do.
39.	Daiko [illegible] ka Mahal	Do.
40.	Darya Khan's [illegible]	Do.
41.	[illegible]	Do.

मूल अधिसूचना की टंकित प्रति

Typed copy of Original Notification

Notification of the Monument

THE ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS AND ARCHEOLOGICAL SITES AND REMAINS (DECLARATION OF NATIONAL IMPORTANCE) ACT, 1951

No. LXXI or 1951

An Act to declare certain ancient and historical monuments and archaeological sites and remains in Part A States and Part B States to be of national importance and to provide for certain matters connected there with.

[28th November, 1951]

THE SCHEDULE
(See Section 2)
PART I

Ancient and Historical Monuments

I. All Ancient ad historical monuments in Part A States and Part B States which, before the commandment of this Act, have either been declared by the Central Government, to be protected monuments within the meaning of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904, or which have been taken possession of by the Central Government as Protected monuments.

Serial No	Name of Monument	Locality
10.	Bijamandal Mosque	Bhilsa

अनुलग्नक-III
ANNEXURE-III

स्थानीय निकाय दिशानिर्देश
Local Bodies Guidelines

3.8 सांस्कृतिक धरोहर एवं नगरीय विरासत का संरक्षण

पुरातत्व महत्व के स्थल भारतीय पुरातत्व (केन्द्रीय) के तहत संरक्षित धरोहर है जिसकी 100 मीटर की परिधि में निर्माण/विकास पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा 100 मीटर के बाद 200 मीटर की परिधि में निर्माण/विकास की अनुमति पुरातत्व विभाग से प्राप्त की जाना होगी। पुरातत्व महत्व के स्थलों की सूची निम्नानुसार है –

1. लोहांगीपीर का मकबरा (हिन्दुओं द्वारा मंदिर के रूप में मान्य)
   - i. प्रथम द्वार
   - ii. द्वितीय द्वार
   - iii. सोलह खम्भा (भूमि के भीतर)
   - iv. स्तम्भ युक्त मंडप (फारसी लेखों से युक्त मस्जिद)
   - v. स्तम्भयुक्त भग्नावेश (धर्मशाला)
2. मकबरा हाजीवली (दुर्गा नगर)
3. उदयगिरि की गुफाऐं
4. बीज मण्डल
5. अशोक चिन्ह
6. खामखाना
7. बैस नगर

4.20 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति

वे उपयोग जो 7 प्रमुख परिक्षेत्रों के अंतर्गत हैं तथा जो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने पर स्वीकार्य हैं, वे निम्नानुसार हैं :–

विदिशा : स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

सारणी 4–सा–18

क्र.	भूमि उपयोग	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग
1	आवासीय	आवासगृह छात्रावास, अतिथिगृह, लाजिंग एवं बोर्डिंग हाऊस, धर्मशाला, बारात घर, सामुदायिक हाल, आश्रय गृह, बालक यातायात पार्क, प्रयोग शालाए, शिशु सदन, बाल–विहार पाठशालाएं, धार्मिक स्थान, आमोद–प्रमोद उपयोग क्लब, सार्वजनिक उपयोगिताए एवं सेवाएं, टेक्सी व स्कूटर स्टेण्ड बस स्टॉप।	व्यवसायिक कार्यालय या घरेलू व्यवसायिक इकाई, नर्सिंग होम, कार्यालय, होटल, आटा चक्की, पेट्रोल पम्प, हल्के वाहनों की मरम्मत से संबंधित दुकानें, छविगृह संग्रहालय, पैकिंग इकाई, गैस बुकिंग केन्द्र, सहकारी उपभोक्ता भंडार, सामुदायिक भवन तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37(1) परिशिष्ट–च भाग–1 एवं भाग–2 में सम्मिलित उद्योग।
2	वाणिज्यिक	फुटकर दुकानें, होटल, लॉजिंग तथा बोर्डिंग गृह, सुविधा जनक दुकाने, वाणिज्यिक कार्यालय, छविगृह, बस टर्मिनल, नर्सिंग होम, धार्मिक परिसर सेवाएं एवं सुविधाएं, छविगृह, थोक बाजार, भंडारण, सेवा केन्द्र, बस टर्मिनल, मोटर गैराज, कबाड़ खाना, मंडी, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाऐं सेवायें।	धर्मशाला, सभागृह, सांस्कृतिक प्रचार केन्द्र, प्रर्दशनी केन्द्र, कला केन्द्र, संग्रहालय, संगीत नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय एवं कर्मशाला, आवासीय फलेट, सेवा उद्योग, प्रेस परिसर, कर्मशाला तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 परिशिष्ट च में सम्मिलित उद्योग।
3	औद्योगिक	अ. सेवा उद्योग हल्के उद्योग जैसे आरामिल, दाल मिल, तेल मिल, दूध डिब्बे में भरना, डिब्बे बनाना, मरम्मत कर्म शाला, सेवा केन्द, सार्वजनिक सेवा भवन।	पेट्रोल पम्प, परिवहन संस्थाएं, कूड़ा करकट स्थान (जंक यार्ड), शोरूम दुकानें, उपाहार गृह, माल गोदाम, अंग्रेषण अभिकरण, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधित उद्योग।
		ब. अन्य उद्योग सामान्य, भारी एवं मध्यम उद्योग, गैस भंडारण, शीतगृह, एल.पी.जी. रिफलिंग प्लांट, रासायनिक उद्योग, चमडें के उद्योग, मद्य निर्माण शाला एवं अन्य उद्योग।	आवश्यक श्रमिक आवास, बस डिपो, कर्मशाला, बस टर्मिनल, गृह रेलवे माल गोदाम सेवा कर्मशाला, गोदाम, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 37 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधित उद्योग।
5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	केन्द्र एवं राज्य शासन के कार्यालय शासकीय एवं अन्य कार्यालय वाणिज्यिक कार्यालय सार्वजनिक	धर्मशाला, आश्रय गृह, क्लब, फुटकर एवं मरम्मत की दुकानें, आवश्यक आवास गृह, शासकीय विश्राम गृह, उपहार गृह एवं

		उपक्रम परिचर्चा हाल व्याख्यालय फुटकर एवं दुरस्ती की दुकानें औषाधालय ग्रंथालय संग्रहालय, सांस्कृतिक प्रचार केन्द्र सभागृह, पुलिस पोस्ट, सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक संस्थाएं विथिका कला प्रदर्शन कक्ष। शैक्षणिक संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विविध शिल्प कला मंदिर, तकनीकी संस्थाएं शोध प्रयोग शालाएं साधारण एवं विशिष्ट चिकित्सालय, चिकित्सा प्रयोगशाला स्वास्थ्य केन्द्र सार्वजनिक सेवाऐं।	खेल के मैदान, कला केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी, * गैर प्रदूषण कार्य उद्योग**।
6	आमोद–प्रमोद	समस्त आमोद–प्रमोद स्थल, जैसे– क्रीड़ा स्थल, क्रीडागन, तरण पुष्कर, मेंला एवं प्रदर्शनी स्थल, पिकनिक स्थल, उद्यान शूटिंग रेन्ज, पक्षी अभ्यारण।	पौधशाला, स्टडफार्म, देख रेख आवास, अल्प आहार गृह, योग केन्द्र, मनोरंजन उद्यान।
7	यातायात एवं परिवहन	रेलवे स्टेशन, माल प्रांगण ,सभागार प्रांगण नगरीय बसयात्रा आरंभ एवं समाप्ति केन्द्र, बस कर्मशाला, ट्रक स्टेण्ड, ट्रक यात्रा समाप्ति केन्द्र गोदाम।	अग्रेषण अभिकरण, शीतगृह, पेट्रोल पम्प एवं सेवा केन्द्र, मरम्मत की दुकानें, उपकरणों की दुकानें, उपहार गृह, भोजनालय।
8	कृषि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो कि कृषि की परिभाषा में मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत आते है। कृषि संबंधी अनुसंधान केन्द्र प्रदर्शनी एवं प्रयोगात्मक कार्य, कृषि संबंधी अनुसंधान केन्द्र, प्रदर्शनी एवं प्रयोगात्मक कार्य, कृषि फार्म, हेलीपेड, विद्युत/दूरदर्शन/रेडियो केन्द्र खुले डिपो संभाविक नगरीय क्षेत्र।	पेट्रोल पम्प, कब्रिस्तान, श्मशान, जल मल शोधन केन्द्र, खन्ती स्थान, ईंट भट्टे एवं कुम्हारी कार्य, पत्थर तोड़ने का कार्य, दुग्ध एवं कुक्कुट पालन, माल गोदाम, चारा गृह एवं वृक्षारोपण, एल.पी.जी. गोदाम, ट्रक पार्किंग, दुग्ध शीतलन केन्द्र सेवाएं, खाद एवं बीज संग्रहण केन्द्र, कृषि यांत्रिकी एवं सुधार प्रतिष्ठान, शीतगृह, ढाबा, संभावित नगरीय क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, विस्फोटक संग्रहण केन्द्र, गोशाला, सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

अनुलग्नक-IV
ANNEXURE-IV

विदिशा विकास योजना मानचित्र 2031

Vidisha Development Plan Map 2031

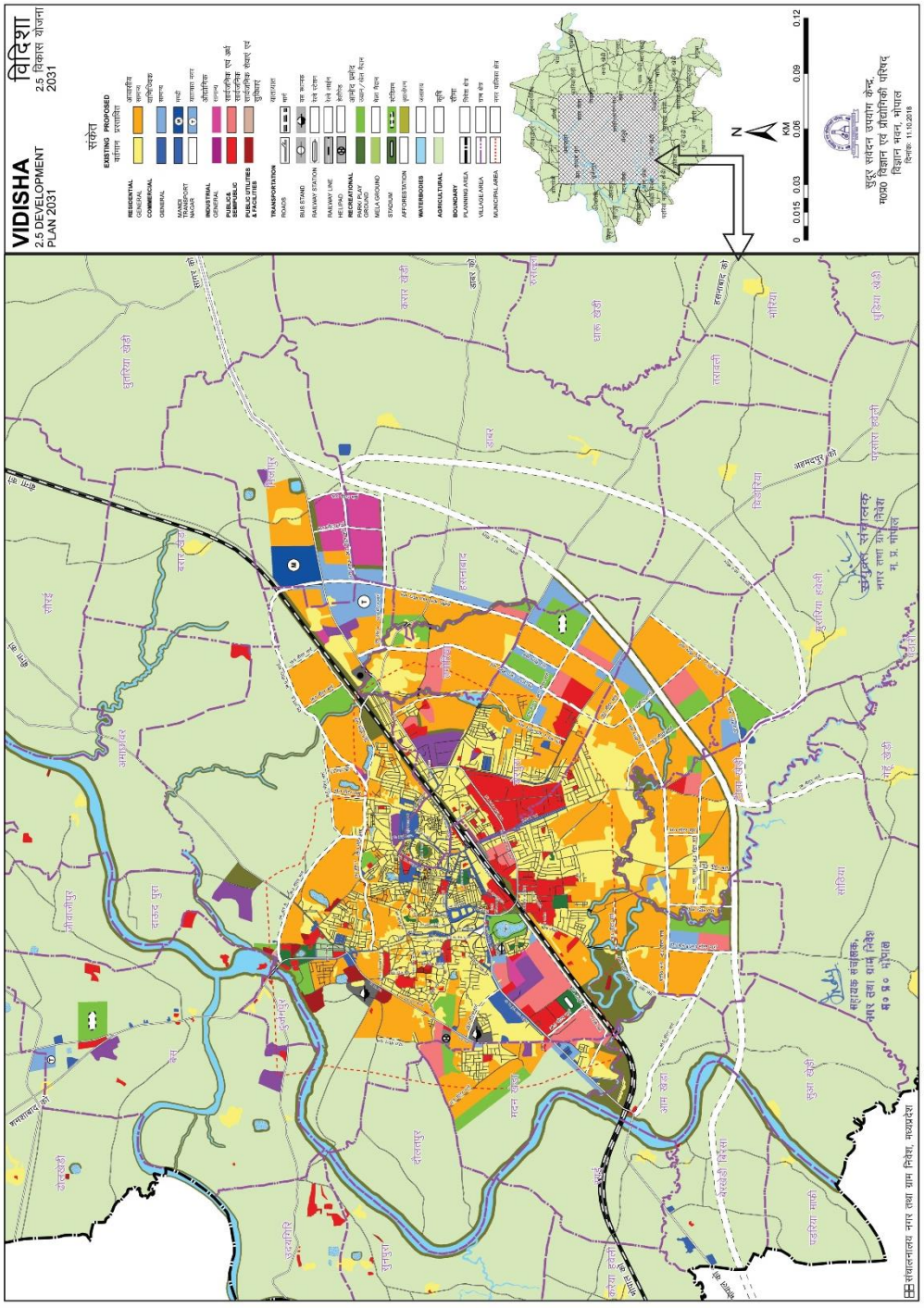

अनुलग्नक-IV (ख)

ANNEXURE-IV (b)

बीजामंडल मस्जिद, भीलसा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश को दर्शाने वाला विदिशा विकास योजना 2031 का भूमि उपयोग मानचित्र

Land-use Map of Vidisha Development Plan 2031, Showing Bijamandal Mosque, Bhilsa, District- Vidisha, Madhya Pradesh

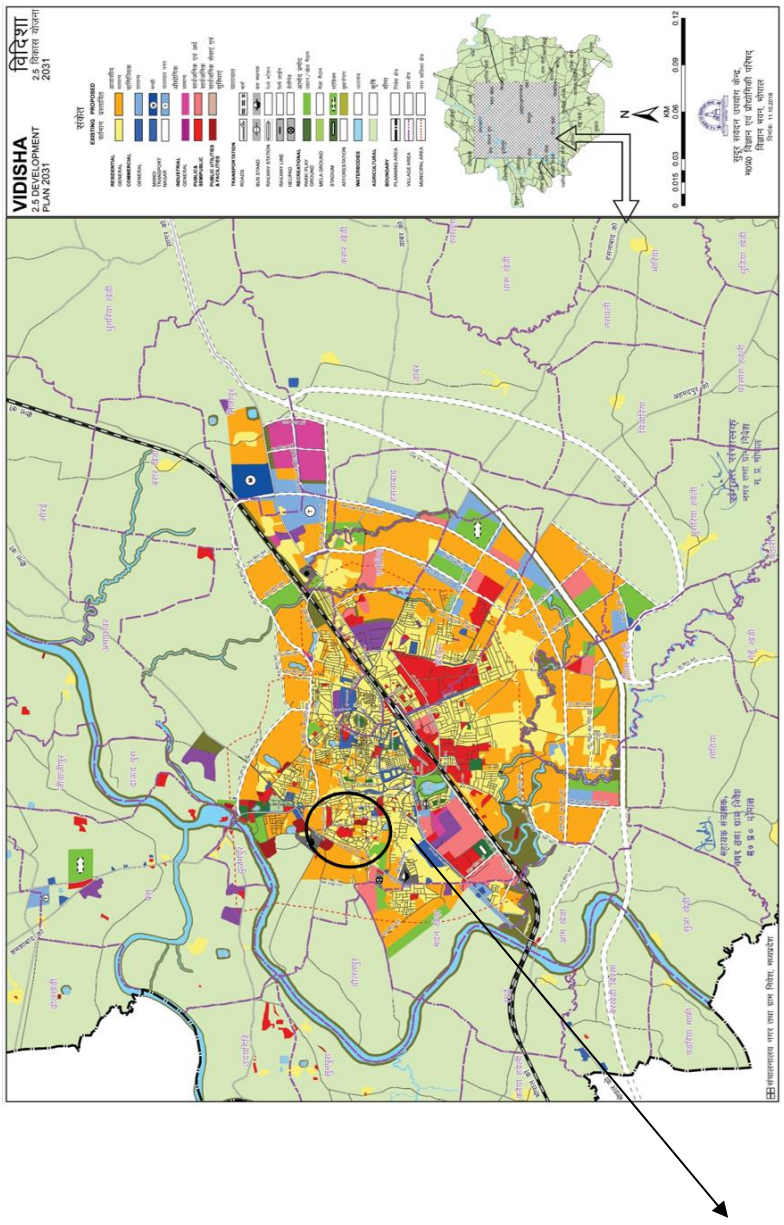

Bijamandal Mosque

अनुलग्नक–V
ANNEXURE–V

संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के चित्र
Images of the Protected Monument and its Surroundings

चित्र 1: बीजामंडल मस्जिद का दक्षिणी दृश्य
Image 1: Southern View of Bijamandal Mosque

चित्र 2 और 3: परिसर में वास्तुकला के टुकड़े
Images 2 and 3: Architectural Fragments in the complex

चित्र 4: संरक्षित संस्मारक का सांस्कृतिक नोटिस बोर्ड
Image 4: Cultural Notice Board of Protected Monument

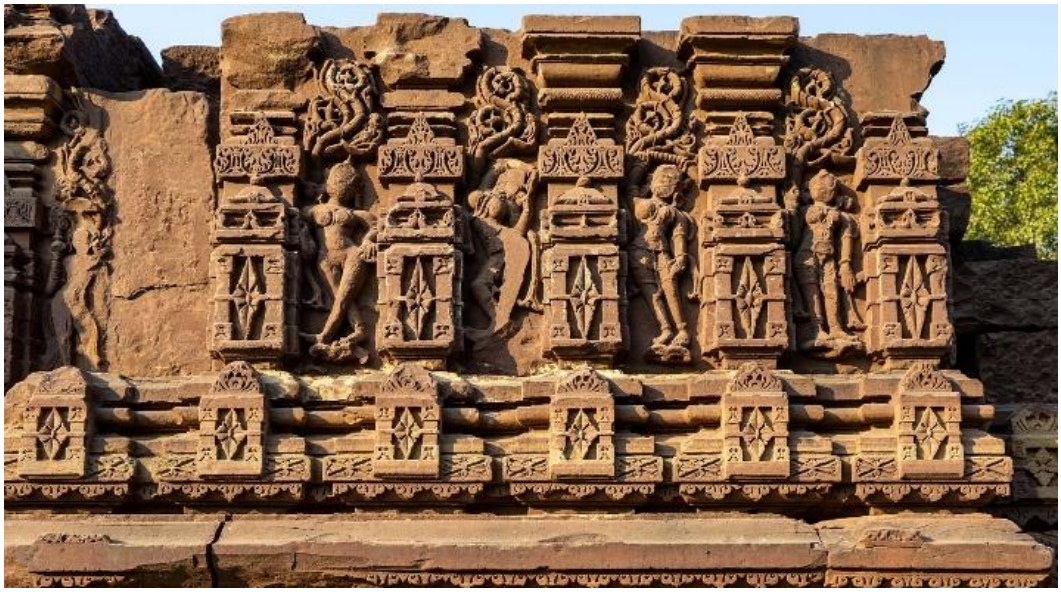

चित्र 5: सीढ़ियों के पास वास्तुकला के टुकड़े
Image 5: Architectural Fragments near the steps

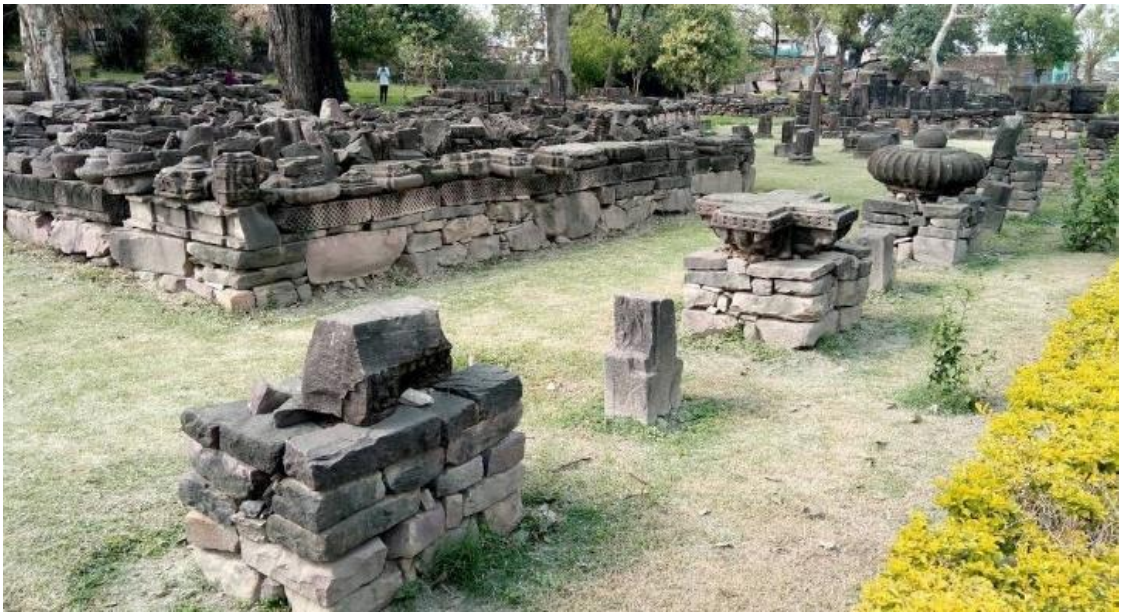

चित्र 6 और 7: परिसर में वास्तुकला के टुकड़े
Images 6 and 7: Architectural Fragments in the complex

चित्र 8 और 9: बावली
Images 8 and 9: Baoli

चित्र 10: संरक्षित संस्मारक के उत्तर से दृश्य
Image 10: View from the North of Protected Monument

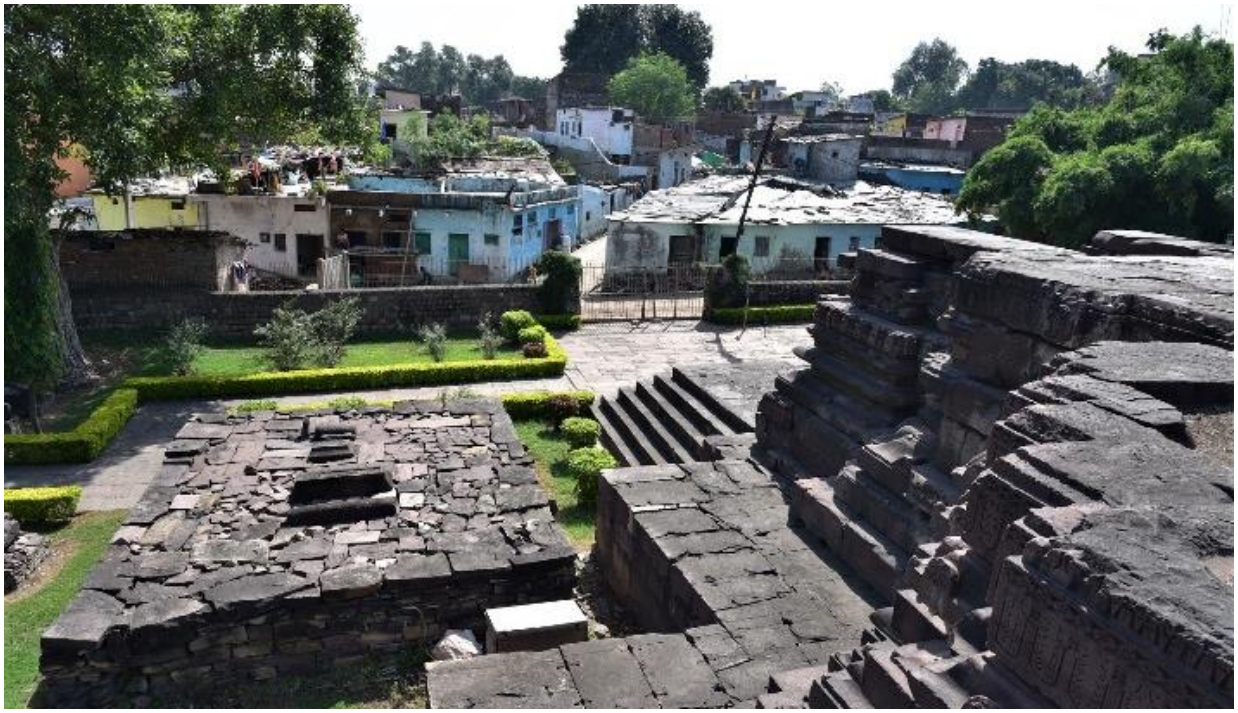

चित्र 11: संरक्षित संस्मारक के पूर्व से दृश्य

Image 11: View from the East of Protected Monument

चित्र 12: दक्षिण दिशा में हाथी वाली हवेली

Image 12: Hathi Wali Haveli in the South direction

चित्र 13: पहुंच मार्ग का दृश्य
Image 13: View of the Approach Road